193 समक्ष माननीय सदस्य म.प्र. राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. पुर्नविलोकन/ /17

अखिलेश पटेल आ0 श्री बलवन्तसिहं पटेल
निवासी टीलाखेडी कलोनी विदिशा हालमुकाम
ग्लोबल पार्क सिटी सेक्टर न0 4, मकान न0 112
कटारा हिल्स भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. रामसिहं आ0 स्व0श्री दिलीपसिहं
निवासी ग्राम ढोलखेडी तहसील एवं
जिला विदिशा म.प्र. ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलाकन आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 2360–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 12/01/17 से असंतुष्ट होकर एवं दुःखी होकर यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र माननीय-माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढोलखेडी तहसील एवं जिला विदिश स्थित भूमि खसरा क0 405/1 रकवा 4.298 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के दादा श्री दिलीप सिह के नाम पर दर्ज थी । श्री दिलीपसिहं द्वारा अपनी जीवनकाल में उक्त भूमि का वसीयतनामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया था श्री दिलीप के स्वर्गवास के उपरान्त आवेदक ने उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनावेदक क0 2 ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष दिनांक 10/07/2015 को आपत्ति प्रस्तुत कि गयी कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण सशोधित पजीं क0 12 दिनांक 05/10/2002 के द्वारा उसके नाम पर कर दिया गया है । अनावेदक क0 2 द्वारा दी गयी उक्त जानकारी के आधार पर आवेदक द्वारा पजीं क0 12 दिनांक 05/10/2002 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। तथा अपील के साथ आवेदक द्वारा पृथक से विलम्ब परिमार्जन हेतु धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्षो के तर्क श्रवण करने के उपरान्त आदेश दिनांक 10/06/2016 के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने के आदेश दिये । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व अनावेदक क0 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कि गयी थी। जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12/01/2017 के द्वारा स्वीकार की गयी है ।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्व यह पुर्नविलोकन ~~न~~ पत्र माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 713–एक/2017 पुनरावलोकन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
31-1-17	यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 2360–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–1–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि बसीयतनामे के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के क्रमांक 12 पर दिनांक 5–10–02 से ग्राम ढोलखेड़ी के सर्वे नंबर 405/1 रकबा 4.298 पर आवेदक का नामांत्रण हुआ है जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के यहॉ होने पर अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को स्वीकार किया गया, किन्तु तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने निगरानी स्वीकार करके अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10–6–16 को निरस्त करने में त्रृटि की है। तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 12–1–17 पारित करने में यह भूल हुई है कि समयावधि के प्रकरणों को सदभावना से विचार करके मामला गुणदोष के आधार पर निर्णय के लिये भेजा जाना चाहिये था। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की मांग की है।	

4/ आवेदक के अभिभाषक के व्दारा पुनरावलोकन आवेदन में बताये गये आधारों एंव तर्को के परिप्रेक्ष्य में तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्र0क0 2360–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दि. 12–1–2017 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तत्का. सदस्य व्दारा अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के आदेश दिनांक 10–6–16 का भलीभॉति परीक्षण कर समयावधि के बिन्दु पर विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के बताये गये आधार इस प्रकार हैं–

1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल,
2. नये एंव महत्वपूर्ण दस्तावेज का खोज लेना , जो आदेश पारित करने के पूर्व शोध करने पर प्राप्त न हो सका था, अथवा
3. अन्य कोई पर्याप्त कारण ।

आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों के कम में यह समाधान नहीं करा सके हैं कि तत्कां.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 12–1–2017 पारित करते समय कौनसी त्रृटि अथवा भूल हो गई है । आवेदक के अभिभाषक ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर विचार किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य